

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर (म.प्र.)

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

प्रशासन/120-ए(पार्ट)/961

इन्दौर, दिनांक 10/05/2018

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु प्रायवेट एजेंसीस/फर्म/उम्मीदवार से प्रस्ताव आमंत्रित है। वाहन स्टैण्ड संचालक, इस निविदा के प्रकाशन के दिनांक से दिनांक 25/05/2018 की शाम 4:30 बजे तक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर के केश अनुभाग से अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) आवेदन शुल्क रूपये 100/- (सौ रूपये मात्र) जमा कर अनुबंध की शर्तें एवं आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र दिनांक 30/05/2018 की दोपहर 01:30 बजे तक प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निविदा उक्त दिनांक को ही सांयकाल 4:00 बजे आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा शर्तों की जानकारी उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

सही/-

(तारकेश्वर सिंह)

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
खण्डपीठ इन्दौर

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर (म.प्र.)

:: वाहन स्टैण्ड संचालन की सामान्य शर्तें ::

- (1) निविदा सीलबंद लिफाफे में निर्धारित समय में प्राप्त होना चाहिए।
- (2) वाहनों के स्टैण्ड पर रखने की दरें:-

क्रं.	वाहन	दर प्रतिदिन रुपये	दर प्रतिमाह रुपये
1	साइकिल	2/-	40/-
2	मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड दो पहिया वाहन	5/-	100/-
3	तीन पहिया वाहन/चार पहिया वाहन	10/-	200/-

- (3) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी, महाधिवक्ता कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के सदस्यों एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की सुरक्षा में लगे अधिकारी/कर्मचारियों से कोई वाहन शुल्क वसूलनीय नहीं होगा, उनके लिए पास जारी करने की जिम्मेदारी निविदादाता की रहेगी।
- (4) अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर के नाम से निविदा के साथ जमा करना होगा।
- (5) दिनांक 30/05/2018 को दोपहर 01:30 बजे तक रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करने पर ही अंतिम रूप से निविदा मान्य की जाकर वाहन स्टैण्ड संचालनार्थ मान्यता दिये जाने को अनुबंध की शेष राशि 3 दिन में जमा कर वाहन स्टैण्ड संचालन की अनुमति दी जावेगी।
- (6) वाहन सुरक्षा में चूक होने पर ग्राहक को वाहन की कीमत भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंध गृहिता की होगी।
- (7) दिनांक 30/05/2018 तक अधिकतम अधिमान्य निविदादाता के द्वारा शेष वार्षिक अनुबंध की राशि अदा न करने अर्नेस्ट मनी शासनहित में राजसात कर द्वितीय अधिकतम दर से संबंधित निविदादाता को वार्षिक अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- (8) अर्नेस्ट मनी रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) की 5 गुना राशि रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये) वार्षिक न्यूनतम शासकीय अनुबंध दर से उच्चतम अनुबंध दर की निविदायें विचारणीय होगी।
- (9) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।
- (10) प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।
- (11) वार्षिक अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर निविदा की राशि राजसात की जाकर वर्ष में किसी भी समय पुनः निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

सही/-

(तारकेश्वर सिंह)

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
खण्डपीठ इन्दौर

HIGH COURT OF M.P., BENCH AT INDORE

OPEN TENDER PROFORMA FOR CYCLE/VEHICLE STAND

- (1) Rate Quotation of the Tenderer
- (2) Earnest money Rupees 10,000/- be deposited with the tender
- (3) Demand Draft Details
(Name of Bank with Branch/ D.D.No./Date of issuance)

.....
.....
.....

- (4) PAN No.
(Enclose copy of current income tax Return)

The terms and conditions of the tender are acceptable to me/us.

- (5) Enclose Identity Proof (Aadhar Card/Voter I.D. Card)

Signature

Name & address with seal & Date.....

.....
.....
.....

Phone No.....

Fax

E-mail